



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928



सं०-I/7633/2025-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01 दिनांक 29.03.2025

कार्यालय जाप

कारपोरेशन के कार्यालय जाप संख्या-1768-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2021 दिनांक 31-12-2021 द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 03 वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति पर तैनात श्री मो० अरशद (2001225), अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की प्रतिनियुक्ति अवधि को एतद्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विशिष्ट अनुरोध पर दिनांक 30-06-2025 तक विस्तारित किया जाता है। यदि उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर दिनांक 01-07-2025 तक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि वे वापस आने के इच्छुक नहीं हैं और इसे Deemed Resignation मानते हुये इस आधार पर उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में उनका धारणाधिकार (Lien) समाप्त कर दिया जायेगा। इस हेतु अलग से कोई और आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति की अन्य निबन्धन एवं शर्तें पूर्व की भांति यथावत रहेंगी।

अध्यक्ष
उ०प्र०पा०का०लि०

सं०-I/7633/2025-(ii)ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01 तद्विनांक।

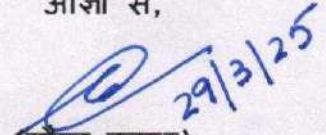
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव (01)/उप सचिव (02अ), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. श्री मो० अरशद (2001225), वरिष्ठ प्रबन्धक (विद्युत), यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर, ग्रेटर नोएडा को कार्यालय जाप की प्रति अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. उप सचिव (गोपन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार,

लखनऊ।

11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा/राजपत्रित/जी०पी०एफ/पेंशन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
12. पुस्तकालयाध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,


(गौरव कुमार)

संयुक्त सचिव (ज०श० प्रशि० एवं कार्य)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
(Shakti Bhawan, Lucknow)

प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें

- (1) **संस्थान में सेवा की अवधि :-** यह प्रथमतः एक वर्ष के लिये होगी जो कारपोरेशन में उनके द्वारा कार्यभार से मुक्त किये जाने के दिनांक से प्रारम्भ होकर उनके प्रत्याह्वान किये जाने पर कारपोरेशन में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक मानी जायेगी।
- (2) **वेतन :-** बाह्य सेवा की अवधि में प्रतिनियुक्त अधिकारी को विकल्प होगा कि वे या तो बाह्य सेवा पद के वेतनमान में सामान्य नियमों के अधीन अपना वेतन निर्धारित करा ले या कारपोरेशन वेतनमान में अपने वेतन के सहित वेतन का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रू० 500/- प्रतिमाह तथा यदि तैनाती स्टेशन के बाहर बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति होता है तो वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु अधिकतम रू० 1000/- प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता इस शर्त के अधीन है कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता की कुल धनराशि का योग किसी भी समय रू० 22000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। मूल वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-2, भाग 2-4 के मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है।
- (3) **मंहगाई भत्ता :-** यह भत्ता कारपोरेशन के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन लिये जाने की अवस्था में कारपोरेशन की स्वीकृत दरों पर अनुमन्य होगा। इसकी गणना मात्र बाह्य सेवा वेतन अथवा कारपोरेशन में ग्राह्य मूल वेतन पर की जायेगी, अर्थात् प्रतिनियुक्ति भत्ता की आगणित धनराशि पर मंहगाई भत्ता नहीं अनुमन्य होगा। बाह्य सेवा पद के वेतनमान में वेतन लिये जाने की अवस्था में यह बाह्य सेवायोजक के अधीन अनुमन्य दरों पर मिलेगा।
- (4) **नगर प्रतिकर तथा भकान किराया भत्ता :-** ये भत्ते प्रतिनियुक्ति अधिकारी को उक्त विभाग में विद्यमान नियमों के अधीन अनुमन्य होंगे किन्तु यदि वे अपने नियुक्ति स्थान पर कारपोरेशन आवास का उपभोग करेंगे तो उनसे आवास आवंटन की दशा में बाह्य सेवा की अवधि में फ्लैट रेंट कारपोरेशन नियमानुसार देय रेंट के दोगुनी दर पर किराया (रेंट) लिया जायेगा जो वे स्वयं प्रतिमाह जमा करेंगे और इस किराये का आधा वे स्वयं वहन करेंगे तथा शेष आधा अपने बाह्य सेवायोजक से प्राप्त करेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने के पश्चात् मानक किराया एवं बाजार दर तथा 25 प्रतिशत की दर पर किराये की वसूली की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (5) **कार्यभार ग्रहण करने का समय और उस अवधि का वेतन :-** कार्यभार ग्रहण करने का समय और कार्यभार ग्रहण करने के समय का वेतन, यदि कोई हो, का विनियमन संस्थान की सेवा पर स्थानान्तरण और उससे प्रत्यावर्तन दोनों ही के लिये कारपोरेशन नियमों के अधीन किया जायेगा और इसका भुगतान संस्थान द्वारा ही किया जायेगा।

(2)

2

(6) यात्रा भत्ता :- संस्थान में सेवा की अवधि में उक्त संस्थान के अधीन कार्यभार ग्रहण तथा उससे प्रत्यावर्तन के समय की गयी यात्राओं के लिये यात्रा-भत्ते का विनियमन प्रतिनियुक्ति अधिकारी के विकल्प के अनुसार या तो कारपोरेशन अथवा संस्थान के नियमों के अधीन होगा और इसका भुगतान संस्थान द्वारा ही किया जायेगा।

(7) अवकाश और पेंशन :- बाह्य सेवा की अवधि में प्रतिनियुक्ति अधिकारी अवकाश और पेंशन सम्बन्धी कारपोरेशन नियमों द्वारा ही नियंत्रित होते रहेंगे। बाह्य सेवा में अथवा उसके द्वारा हुई विकलौंगता के सम्बन्ध में बाह्य सेवायोजक अवकाश वेतन (न कि अवकाश वेतन अंशदान) के लिये देनदार होगा, चाहें ऐसी विकलौंगता का पता बाह्य सेवा की समाप्ति के बाद ही क्यों न लगे।

✓ (8) अवकाश वेतन एवं पेंशन सम्बन्धी अंशदान :- अवकाश वेतन और पेंशन के लिये अंशदान का भुगतान प्रतिनियुक्त अधिकारी या उक्त संस्थान द्वारा जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान वित्तीय नियमावली खण्ड-2, भाग-2 के मूल नियम (फण्डामेंटल रूल्स) 115 एवं 116 के अधीन राज्यपाल, उ०प्र० द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। सहायक नियम 185 के अनुसार अब उपरोक्त अंशदानों का भुगतान मासिक न होकर वार्षिक होगा। यदि बाह्य सेवावधि एक वर्ष से कम हो तो इन अंशदानों का भुगतान बाह्य सेवा अवधि की समाप्ति पर तुरन्त किया जायेगा। उपर्युक्त अंशदानों का भुगतान अलग-अलग लेखा शीर्षकों में जमा किया जायेगा। यदि इन अंशदानों का भुगतान विलम्बतम 15 अप्रैल तक नहीं किया जाता है तो प्रतिनियुक्त अधिकारी अथवा उक्त संस्थान, जैसी स्थिति हो, को पूर्वोक्त सहायक नियम 185 में निर्धारित दर से देय अंशदानों पर ब्याज भी देना पड़ेगा भले ही उप मुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ने उन अंशदानों के लिये कोई दावा पेश न किया हो। अतः प्रतिनियुक्त अधिकारी अथवा उक्त संस्थान के हित में ही होगा कि वह इन आदेशों के मिलते ही उप मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, से सम्पर्क स्थापित करें और उनसे इन अंशदान की दरों और उनके भुगतान की विधि के बारे में पूछ लें। यह अंशदान यथास्थिति प्रतिनियुक्त अधिकारी या उक्त संस्थान द्वारा सम्बन्धित उप मुख्य लेखाधिकारी उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ को कांस किये हुये बैंक ड्राफ्ट या चैक द्वारा भेजे जाने चाहिये।

(9) भविष्य निधि :- संस्थान में प्रतिनियुक्त अधिकारी के वेतन से मासिक भविष्य निधि का अभिदान प्रतिमाह काटकर उनके भविष्य निधि खाते/लेखे में जमा करने हेतु कारपोरेशन के लेखाधिकारी (भविष्य निधि) को नियमित रूप से भेजना होगा अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि में प्रतिनियुक्त अधिकारी उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के भविष्य निधि नियमों द्वारा ही नियंत्रित होते रहेंगे।

परिषदीय पत्रांक-2105-यूपीएसईवी-30-13पी/89 दिनांक 2 नवम्बर, 1989 में निहित स्पष्टीकरण के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों के मामले में 'वेतन पुनरीक्षण' के फलस्वरूप देय (यदि कोई हो) अवशेषों पर अनुमन्य ब्याज की राशि प्रतिनियुक्ता (प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले) संगठनों/विभागों से प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित अधिकारी को अनुमन्य होगी।

- 9
- (10) चैकित्सिक सुविधाएँ :- प्रतिनियुक्त अवधि में प्रतिनियुक्त अधिकारी को उनके चैकित्सिक उपचार के सम्बन्ध में वे सुविधाएँ प्राप्त होती रहेगी जो कारपोरेशन के अधीन उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं से किसी प्रकार कम न हो।
- (11) असाधारण पेंशन :- प्रतिनियुक्त अधिकारी अथवा उनके परिवार द्वारा बाह्य सेवा में रहते हुये उनकी विकलौगता अथवा मृत्यु के संबंध में किया गया कोई दावा उ०प्र० सिविल सेवाएँ (असाधारण पेंशन) नियमावली यू०पी० सिविल सर्विसेज (एक्टूआर्डिनरी) पेंशन रूल्स के अनुसार निर्णीत किया जायेगा और पंच निर्णय (एवार्ड) के पूरे मूल्य का दायित्व उक्त संस्थान को होगा।
- (12) अवकाश तथा अवकाश अवधि में प्रतिकर भत्ता :- संस्थान में प्रतिनियुक्त अधिकारी कारपोरेशन के अवकाश नियमों से ही शासित रहेंगे तथा उन्हें अवकाश व अवकाश नकदीकरण कारपोरेशन नियमों के अन्तर्गत ही अनुमन्य होंगे। संस्थान में सेवा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर लिया गया अवकाश अवधि से संबंधित अवकाश वेतन कारपोरेशन द्वारा देय होगा तथा उस अवधि के महँगाई तथा अन्य प्रतिकर भत्तों का पूरा व्यय संस्थान द्वारा ही वहन किया जायेगा। इस प्रकार के अवकाश वेतन अधिकृत करते समय प्रतिनियुक्त भत्ता अलग से देय न होगा, वरन संबंधित अधिकारी के अवकाश काल का वेतन परिगणन करते समय उसके मूल वेतन एवं अवकाश के उपभोग की अवधि के पूर्व अनुमन्य प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग को ध्यान में रखा जाना होगा। परन्तु संस्थान में सेवा पर रहते हुये मृत्यु या सेवानिवृत्ति की दशा में संबंधित कारपोरेशन सेवक के अवकाश खाते में जमा अवकाश के एवज में नियमानुसार अनुमन्य वेतन तथा उस पर देय भत्तों का भुगतान कारपोरेशन द्वारा ही किया जायेगा।
- (13) अन्य वित्तीय सुविधाएँ :- यदि प्रतिनियुक्त अधिकारी को उक्त संस्थान द्वारा उक्त शर्तों के अतिरिक्त कोई अन्य वित्तीय सुविधा/प्रोन्नति दिया जाना प्रस्तावित हो तो कारपोरेशन की स्पष्ट सहमति के बिना अनुज्ञेय न होगी।
- (14) संस्थान में सेवा के मध्य त्याग-पत्र, संस्थान के अधीन संविलीन होना तथा स्वैच्छिक सेवा निवर्तन आदि :- संस्थान में सेवा के मध्य प्रतिनियुक्त अधिकारी को उपरोक्त हेतु अनुमति नहीं होगी।
- (15) कारपोरेशन द्वारा पूर्वगनमी तिथि से कोई लाभ अनुमन्य कराने पर प्रतिनियुक्त अवधि का देय धनराशि पर भार बाह्य सेवायोजक द्वारा ही वहन किया जायेगा।
- (16) उक्त शर्तों एवं दशाओं के साथ-साथ एतद् विषयक अन्यान्य जो भी कारपोरेशन आदेश समय-समय पर प्रतिनियुक्त के संबंध में निर्गत होंगे, वे प्रतिनियुक्त अधिकारी पर स्वयमेव प्रभावी होते रहेंगे।



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-1919-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2023-15(02)-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०/2022, दिनांक 22.08.2023

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि उत्तर पावर कारपोरेशन लि०, सहयोगी वितरण निगमों तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० में कार्यरत कार्मिक, जो वाह्य संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाते हैं, के वेतन से जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ० मद में की जाने वाली कटौती की धनराशि तैनाती वाह्य संस्थान/विभाग द्वारा सी०पी०एफ०/जी०पी०एफ० ट्रस्ट के निम्नवत् बैंक खाते में सीधे जमा की जायेगी :-

क्र०सं०	विवरण	अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट (सी०पी०एफ०)	उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लॉईज ट्रस्ट (जी०पी०एफ०)
1	Name of A/C	UPPCL CPF TRUST	U.P. State Power Sector Employees Trust GPF A/C
2	Name of Bank	ICICI Bank Ltd.	ICIC Bank Ltd.
3	Bank A/C No	628101165427	628101102331
4	IFS Code-	ICIC0006281	ICIC0006281
5	Branch Address	Hajratganj, Lko.	Hajratganj, Lko

अंशदान की धनराशि विलम्ब से प्रेषित करने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक को हुई ब्याज की क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थान/विभाग का होगा।

वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अथवा भविष्य में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में उपरोक्त का अनुपालन कराये जाने हेतु वाह्य संस्थानों को नूचना प्रेषित करने का उत्तरदायित्व अन्तिम तैनाती इकाई के नियंत्रक अधिकारी का होगा।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

सं०-1919(i)-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०/पाकालि/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केरको, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. निदेशक (वित्त), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/केरको, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः.....2

7. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट/उ०प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. उपमुख्य लेखाधिकारी, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि० कानपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(सदानन्द)

संयुक्त सचिव (ज०श० प्रशि० एवं कार्य)